



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122021-232160
CG-DL-E-27122021-232160

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4986]
No. 4986]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 2021/पौष 3, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 2021/PAUSA 3, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5377(अ).—केन्द्रीय सरकार के लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ओडिशा राज्य में पारादीप-सोमनाथपुर-हल्दीआ से पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार अर्जन के सम्बन्ध में श्री सनातन मल्लिक सक्षम प्राधिकारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन्स प्रभाग क्वाटर नंबर -103 पीपीटी कॉलोनी मधुबन पारादीप पोस्ट बॉक्स संख्या 83 पारादीप मुख्य डाक घर पारादीप जिला-जगतसिंहपुर ओडिशा-754142 को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड						
पारादीप – सोमनाथपुर हल्दीया पाइपलाइन परियोजना						
3(1)						
जिला:- केन्द्रापड़ा			राज्य ओडिशा:-			
क्र. सं.	तहसील का नाम	गाँव का नाम	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल		
				हैक्टेयर	एरिया	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आली	नरिन्द्रपुर -143	2052	00	01	20
			853	00	00	80

[फा. सं. आर-11025(11)/2/2019-ओआर-1/ई-29478]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2021

S.O. 5377(E).—Whereas, it appears to the Indian Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Product from Paradip-Somnathpur -Haldia a pipeline should be laid in State of Odisha by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Indian Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Sanatan Mallik, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipelines Division Quarter No. MC-103 PPT Colony, Madhuban Paradip. Post Box No. 83, Paradip Mukhya Dak Ghar, Paradip District – Jagatsinghpur, Odisha - 754142

SCHEDULE

Indian Oil Corporation Limited						
PROJECT: - PARADIP - SOMNATHPUR - HALDIA PIPELINE PROJECT						
3(1)						
DISTRICT : KENDRAPARA			STATE: ODISHA			
S.No.	Name of Tahasil	Name of Village	Plot No.	Area		
				Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	AUL	Narindrapur-143	2052	00	01	20
2			853	00	00	80

[F. No. R-11025(11)/2/2019-OR-1/E-29478]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.